वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 205/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-08.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 08.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- कोतवाली: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादिनी थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21.04.25 को लगभग 12:00 बजे दिन में विपक्षी फैसल S/0 अज्ञात कालीचौरा द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, परिवार को मारपीट की धमकी भी देता है। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर दिनांक 21.4.25 को मु0अ0सं0 194/25 धारा 87/137(2)/351(3)/64 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक-07.06.25 को म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फैसल अहमद पुत्र असलम निवासी कालीचौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को थाना परिसर से समय 23.18 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फैसल अहमद पुत्र असलम निवासी कालीचौरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 194/25 धारा 87/137(2)/351(3)/64 बीएनएस व 5ठ/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, हे0कां0 सतीश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

02.थाना जहानागंजः चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये इन्वर्टर बैटरी, घरेलू गैस सिलिण्डर व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 28.01.2025 को आवेदक अभिषेक सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह निवासी प्रताप नगर कालोनी सलेमपुर हीरापट्टी थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर बावत ग्राम गोधौरा पानी टंकी परिसर में स्थित पम्प हाऊस से 03 नग बैटरी व 02 नग यु0पी0 एस (इन्वर्टर) किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 31/25 धारा 305 बीएनएस दिनांक घटना 25/26.01.25 व समय अ0त0 घटनास्थल गोधौरा पानी की टंकी कैम्पस बफासला 04 किमी पश्चिम बनाम 1. नाम पता अज्ञात चोर व तफ्तीशी उ0नि0 श्री आदित्य सिंह के पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 05.02.2025 को आवेदक श्री महेश यादव पुत्र स्व0 श्री अलरख यादव ग्राम धनराबाँध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के बावत दिनांक 03.02.25 की रात्रि को अज्ञात चोर वादी की पानी का मोटर 02 HP की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 44/25 धारा 303 (2) BNS, दिनांक घटना 03.02.25 समय अ0त0, घटनास्थल वादी खेत ग्राम धनारबाँध वफासला 07 दक्षिण बनाम 1. नाम पता अज्ञात चोर वतफ्तीशी उ0नि0 सुधाँशू मिश्रा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 18.05.2025 को आवेदक शिखा जायसवाल पुत्री श्री ओम प्रकाश जायसवाल निवासी सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के बावत वादिनी मुकदमा दिनांक 17.05.2025 को शिक्षक कार्य हेतु पू0मा0वि0 बड़ौरा बुजुर्ग पहुंची तो परिसर में स्थित रसोईघर का दरवाजा टूटा हुआ मिलने व अंदर रखा सामान दो सिलिंडर, 1 भगौना, 1 बाल्टी एवं कुछ खाद्य सामग्री किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 168/25 धारा 305, 331(4) BNS, दिनांक घटना 17.05.2025 समय अदम तहरीर, घटनास्थल पू0मा0वि0 बड़ौरा बुजुर्ग परिसर के अन्दर स्थित रसोईघर वफासला 12 किमी पश्चिम, बनाम अज्ञात व्यक्ति वतफ्तीशी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी चक्रपानपुर के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 07.06.25 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकास में आये अभियुक्त गोविन्दा सिंह उर्फ जसवन्त पुत्र अरविन्द सिंह निवासी पटहुँआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष को चोरी गये इन्वर्टर बैटरी, घरेलू गैस सिलिण्डर व नकदी के साथ श्यामचक जाने वाले तिराहे के पास से समय करीब 00.27 बजे हिरासत पुलिस लेकर बाद कार्यवाही मा0 न्याया0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 31/25 धारा 305 BNS , मु0अ0सं0 168/25 धारा 305/331(4) BNS तथा मु0अ0सं0 44/25 धारा 303(2) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. गोविन्दा सिंह उर्फ जसवन्त पुत्र अरविन्द सिंह निवासी पटहुँआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष

बरामदगी का विवरण....

1-एक अदद इनवर्टर की बैट्री सम्बन्धित मु0अ0सं0 31/25 धारा 305 BNS

2- एक अदद घरेलू गैस सिलेन्डर व विक्री के 250 रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 168/25 धारा 305/331(4) BNS व विक्री के 800 रुपये सम्बंधित मु0अ0सं0 44/25 धारा 303(2) BNS व थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि0 अभिषेक सिंह, उ0नि0 श्री आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 विनय कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 कौशल शर्मा थाना जहानागंज आजमगढ़